

**कार्यालय,
संघीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2021/3637

लखनऊ दिनांक:- 08/08/2021

:-कार्यालय ज्ञापन:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली-कार्यवाही काठस्थित और इम्फिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा सारणीकृत तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संवत् हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम- प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बटी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2238-SANJIVANI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, KIRTANPUR, BAHRAICH			
क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की बटी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं अदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों (तीनों) पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों (दोनों) पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों (दोनों) पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक उपाखण्ड से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उपाखण्डों से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बूझ पर वास्तु द्वारा निर्मित किये जाने वाले कारनामों से प्रभावी होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाय आवश्यक होगा। फील निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किये जाने) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश वास्तु के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समझ-बूझ पर निर्मित कारनामों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/निर्णय/अधिनियमों/शासनआदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्मेली पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद टावर किया जाता है तथा टावर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्मेली पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदनित प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय की उपलब्ध कराया होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (आवृत्तियों के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृष्टि भूमि, स्टाफ, सत्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनक, छात्रावास सुनक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यमान-प्राविधिक हेतु उपर्युक्त बातवचन उपलब्ध बनाने के साथ ऐतिहासिक के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघटित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध बनाये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वतीय निरीक्षण डौलन यदि संस्था में भूमि, भवन, छात्रावास, उपकरण एवं अन्य सत्र-संख्या ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता वाली का अनुपालन न किये जाने अथवा चर्चों का उत्तरदान किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुरोधनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/0538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिरिति-

प्रचारार्थ/निदेशक, SANJIVANI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT,
KIRTANPUR, BAHRAICH



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय शैक्षणिक विज्ञान परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्प्रदाय/2020/1971

तख्तक निर्माण 19-9-2020

:-कार्यालय द्वारा:-

अभिन्न भारतीय राजकीय विद्या परिषद, नई दिल्ली/कारकीर्मी समन्वित अंग्रेज इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी राष्ट्रीय राजकीय विद्या समझौते को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त राष्ट्रीय विद्या परिषद, 2020 तख्तक से सम्प्रदाय/सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अग्रस्त, राष्ट्रीय विद्या परिषद, 2020 तख्तक की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अर्जित नई सम्प्रदायों को सम्प्रदाय/पूर्व से सम्बन्धित सम्झौतों को सम्प्रदाय विस्तार/परिष्कार/उपेक्षा अथवा वृद्धि सहित अन्य सभी का विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्प्रदाय प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अन्तर्गत में सम्प्रदाय समिति की बैठक के क्र-3 में विद्यार्थी इन कारकीर्मी परियोजना सम्बन्धित करने वाली पूर्व से सम्प्रदाय सम्झौतों का प्रस्ताव रखा गया। सम्प्रदाय समिति द्वारा परत विचार-विमर्श का विचार निर्णय लिया गया।

- निम्नी क्षेत्र में स्थापित शिक्षार्थी इन कारकीर्मी पाठ्यक्रम सम्बन्धित करने वाली संस्थाएं, जो राष्ट्रीय विद्या परिषद, 2020 तख्तक से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हें यथासत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बन्धित अभिन्न पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं कार्यसमिति से पीसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अन्तर्गत में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को आयुक्त सम्प्रदाय समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अन्तर्गत में निम्न सलाह को राष्ट्रीय विद्या परिषद, 2020 तख्तक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत पर्यवेक्षण एवं परतने अग्रिम उपेक्षा अथवा हेतु सम्प्रदाय विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. संख्या संकेत	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्राप्त क्षमता	पीसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्राप्त क्षमता	
1	1128	राजकीय इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलॉजी, एवं इंजीनियरिंग, बीकानेर, जयपुर।	विज्ञान इन कारकीर्मी	60	60

सम्प्रदाय हेतु शर्तें

- ✓ सलाह एम्प्लॉयमेंट/पीसीआईओ द्वारा निर्दिष्ट की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ सलाह द्वारा उपेक्षा राष्ट्रीय विद्या परिषद द्वारा 1987 तथा राष्ट्रीय विद्या परिषद विनियमकारी 1988, सेमेन्टर विनियमकारी-2018 तथा अन्य निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्दिष्ट शुल्क तीन प्रतिशत इण्डियन रुपयों हेतु 50,000.00/- इण्डियन, दो प्रतिशत कारकीर्मी पर्यवेक्षण हेतु 50-10,000.00/- इण्डियन एवं एक तथा दो प्रतिशत पर्यवेक्षण हेतु प्रतिशत कारकीर्मी पर्यवेक्षण के अतिरिक्त हेतु 50-10,000.00 इण्डियन शुल्क ही वार्षिक लागू/प्रवेश से अन्य किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सम्पन्न-सम्पन्न पर

/s/



**कार्यालय,
राजिन्, ज़ावियिक गिज़ा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या:- राजिन्/परिषद सम्बद्धता/2019/1130

लखनऊ दिनांक 19-8-2019

:-कार्यालय ध्यान:-

अखिल भारतीय राजकीय गिज़ा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2018-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय उत्तरीय डिप्लोमा सम्बद्धताओं की अनुसूचन प्रदान किए जाने से संबंधित ज़ावियिक गिज़ा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2019 को अखिल, ज़ावियिक गिज़ा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संलग्न हुई। बैठक में सत्र 2018-20 हेतु ज़ावियिक नई सम्बद्धताओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबंधित सम्बद्धताओं का सम्बद्धता विस्तार/संशुद्धकरण/प्रवेश संस्था सूचि/सभी हेतु सत्र 2018-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त से अनुसूचन में सम्बद्धता सविधि की बैठक को सत्र-3 में डिप्लोमा इन फार्मेसी संशुद्धन सम्बद्धता करने वाली नई संस्था का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता सविधि द्वारा पठन विचार-विमर्श का निष्पत्ति निर्णय लिया गया :-

एम्बार्डमेंट/टीआईए द्वारा प्रदान किये गये अनुसूचन विस्तार के अनुसूचन में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्भति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2018-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस सत्र के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मेसी प्राध्यापक में उद्योग वर्ग में प्रवेश की संसुति सत्र 2018-20 हेतु संशुद्ध प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीठ/टीआईए अनुसूचन पर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही की जाएगी।"

उक्त निष्पत्तियां परामर्श सत्र को परिषद की निश्चित सविधि एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संसुति तथा सम्बद्धता सविधि द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत एन ज़ावियिक गिज़ा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2018-20 हेतु निष्पत्तित सत्र के अन्तर्गत संशुद्धन एवं प्रवेश अंकित प्रवेश संस्था हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	संशुद्धन का नाम	एम्बार्डमेंट/टीआईए/पिठ/टीआईए द्वारा सत्र 2018-20 के अनुसूचित संस्था	परिषद द्वारा सत्र 2018-20 के अनुसूचित संस्था
1	उत्तर	उत्तरीय डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं का प्रस्ताव।	डिप्लोमा इन फार्मेसी	50	50

सम्बद्धता हेतु सर्वे

- ✓ सत्र एम्बार्डमेंट/टीआईए द्वारा निर्धारित की गयी सर्वे का पूर्ण प्रदान करनी।
- ✓ सत्र प्रस्ताव प्रवेश ज़ावियिक गिज़ा परिषद एवं 1882 एन ज़ावियिक गिज़ा परिषद डिप्लोमा फार्मेसी प्रस्ताव एवं निर्णय निर्णय एवं ज़ावियिक का अनुसूचन करनी तथा मुख्य निर्धारण सविधि द्वारा निर्धारित शुल्क तीन सत्रों द्वारा संशुद्धन हेतु सत्र 20, 1882, 1883/- सत्रों, दो सत्रों फार्मेसी संशुद्धन हेतु सत्र- 40,000/- सत्रों एवं सत्र- 1883 से सत्रों संशुद्धन हेतु सत्र फार्मेसी संशुद्धन के ज़ावियिक हेतु सत्र- 22,000/- सत्रों शुल्क ही ज़ावियिक सत्र/सत्र से ज्ञापन किया जायेगा। ज़ावियिक के ज़ावियिक सत्र/सत्रों से शुल्क के संशुद्धन में सत्र-सत्र पर प्रस्ताव द्वारा निर्णय किये जाने वाले सत्र/सत्रों को ज़ावियिक करनी, और संशुद्धन ज़ावियिक विचार-विमर्श प्रदान होगा। फीस निर्धारण सविधि द्वारा यदि सत्र 2018-20 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीकरण को अनुसूचित।

संलग्नक संशुद्धन



- ✓ संस्था को (2020) प्रारंभिक शिक्षा विभागों तथा अन्य विभागों, संस्थाओं को संबन्ध विषय (आय) विनिर्देशनाली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा द्वारा आवेदनित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों को रिखा या जाने की स्थिति में अन्य प्रवेश प्राप्त करने के विहितानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को सहाय-सम्बन्ध या विभिन्न संस्थानों से अनुदान निर्देशना एव सम्बन्धित शुल्क लेना करना होगा।
- ✓ संस्था को (कार्यवाही/विनिर्देश) से अगली बार हेतु अनुसंधान प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्राप्त करने वाले सभी विधि/विधान/अतिविधान/सहायक/निर्देशना एव निर्देशना, प्रारंभिक शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, 2020 तथा प्रारंभिक शिक्षा परीक्षा, 2020 प्राप्त करने पर निर्देशना, विनिर्देशना, अतिविधि, निर्देशना का पालन करने के विधि लेना होगी।
- ✓ विनिर्देशना द्वारा कार्यवाही अनुसंधान सहायित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, प्रवेश प्रवेश अनुसंधान द्वारा प्रवेश करने के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयिक प्रवेश होने से पूर्व निर्देशना/निर्देशना से अनुसंधान प्राप्त करने परीक्षा कार्यवाही को सहायक करना होगा अथवा अन्य प्रवेश की (कार्यालयिक) के कारण से अथवा संस्था द्वारा परीक्षा प्रवेश हेतु अनुसंधान नहीं करना की जायेगी।
- ✓ प्रवेश प्रवेश संस्था द्वारा प्रवेश हेतु निर्देशना निर्देशना अथवा निर्देशना का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट या संस्था की संस्था सूचनाएं जैसे संस्था की विनिर्देशना सुविधाएं, प्रवेश, सहाय-सम्बन्ध, सम्बन्ध, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, सम्बन्धित शुल्क अदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-विकास हेतु (अनुसंधान) सहायक करने के साथ ही प्रवेश प्रवेश के सम्बन्ध में संस्था आवश्यक सहायक सुविधाएं करने होगी।
- ✓ संस्था को सुविधाओं से ले के संस्था में प्राथमिक/सहायित अनुसंधान को प्राप्त करने हेतु निर्देशना निर्देशना के साथ आवश्यक करने से अतिविधि, सुविधा-सहाय, अतिविधि, अनुसंधान इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य अनुसंधान के कारण से प्रवेश किया जाता है और परीक्षा को अगली कार्यवाही होगी है कि संस्था कार्यवाही का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था को सम्बन्धित संस्था निर्देशना जाने की अनुसंधान की जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित शर्तों का अनुपालन न करने करने अथवा शर्तों का अनुपालन निर्देशना करने की स्थिति में निर्देशना/निर्देशना अनुसंधान/निर्देशना कार्यवाही की जायेगी।

(सचिव/सुचना विधि)
सचिव

सूचना- प्रवेश/परीक्षा सम्बन्धित/2019/1122-2252

तारीख: 13-9-2019

प्रतिनिधि-अध्यक्ष/निर्देशना, राष्ट्रीय इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बरहलख।

(सचिव/सुचना विधि)
सचिव